[भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-।। खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 75/2021 - सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2021

सा.क.नि...........(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख के साथ पठित धारा 157 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड**,** एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनयमन करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों को इलेक्ट्रोनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर विनियमन, 2021 कहा जाएगा ।

(2) वे इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो, -

(क) “अधिनियम” का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) है;

(ख) "दावा" का अर्थ है योजनाओं के तहत एक निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में आइटम स्तर पर उचित घोषणा प्रदान कर के ड्यूटी क्रेडिट का दावा;

(ग) “सीमा शुल्क स्टेशन” का अर्थ कोई सीमा शुल्क पत्तन, सीमा शुल्क हवाई पत्तन, भू-सीमा शुल्क स्टेशन या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है;

(घ) "ड्यूटी क्रेडिट" का अर्थ है योजनाओं के तहत दावे के नामे सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि;

(ड.) "इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर" का अर्थ है सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में लेजर जो उस व्यक्ति से संबंधित है जो ड्यूटी क्रेडिट प्राप्तकर्ता है या जिस व्यक्ति को ड्यूटी क्रेडिट स्थानांतरित किया गया है ;

(च) "ई-स्क्रिप" का अर्थ है, ड्यूटी क्रेडिट के लिए लेजर में बनाई गई स्क्रिप, जैसा कि अधिनियम की धारा 28ककक की व्याख्या 1 में उल्लेखित है;

(छ) "निर्यात घोषणा पत्र" या "निर्यात रिपोर्ट" का अर्थ अधिनियम की धारा 41 में उल्लेखित है;

(ज) "उचित अधिकारी" का अर्थ है सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त;

(झ) "योजना" का अर्थ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीईटीईपी) के लिए योजना अथवा निर्यातित माल पर राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) के लिए योजना है;

(ञ) "स्क्रॉल" का अर्थ सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उत्पन्न एक सूची है जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात के बिल और उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल के लिए सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट राशि का विवरण होता है।

(2) वह शब्द और आशय जो कि इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ समझा जाएगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है ।

3. स्क्रॉल में ड्यूटी क्रेडिट जारी करना - (1) 01 जनवरी, 2021 को या उसके बाद, अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया गया शिपिंग बिल या निर्यात का बिल जिसमें योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट का दावा हो, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उचित चयन मानदंड द्वारा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर संसाधित किया जाएगा ।

(2) निर्यात घोषणा-पत्र या निर्यात रिपोर्ट दाखिल करने के बाद योजना की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार सीमा शुल्क द्वारा दावे की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

(3) यदि एक बार दावे को स्वीकार कर लिया गया है तो उचित अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में ड्यूटी क्रेडिट के लिए एक स्क्रॉल उत्पन्न किया जाएगा । प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग स्क्रॉल उत्पन्न किए जाएंगे ।

(4) स्क्रॉल का विवरण जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात के बिल का विवरण, स्वीकृत ड्यूटी क्रेडिट और स्क्रॉल उत्पन्न करने की तारीख शामिल है, ऐसे निर्यातक को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में दिखाई देगा जो कि ऐसे ड्यूटी क्रेडिट का प्राप्तकर्ता है ।

4. लेजर में ई-स्क्रिप का सृजन - (1) निर्यातक के पास एक विशेष योजना के तहत एक अथवा एक से अधिक शिपिंग बिलों अथवा निर्यात के बिलों में ड्यूटी क्रेडिट को संयोजित करने का विकल्प होगा तथा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा स्क्रॉल के उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्यात के सीमा शुल्क स्टेशन के अनुसार सीमा शुल्क स्टेशन-वार लेजर में उस योजना के लिए उसे ई-स्क्रिप में उक्त ड्युटी क्रेडिट को ले जाने का विकल्प होगा ।

बशर्ते कि यदि निर्यातक एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ई-स्क्रिप सृजित करने के उक्त विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो प्रत्येक योजना के लिए स्क्रॉल में ड्युटी क्रेडिट, संयुक्त सीमा शुल्क स्टेशन-वार और स्वचालित रूप से सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा उक्त निर्यातक के खातों में प्रत्येक सीमा शुल्क स्टेशन के लिए उस योजना के लिए ड्युटी क्रेडिट के लिए एकल ई-स्क्रिप के रूप में सृजित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक ई-स्क्रिप की एक विशेष पहचान संख्या और उसके सृजन की तारीख होगी एवं लेजर में सभी लेन-देन उक्त संख्या और तारीख का उपयोग कर के किया जाएगा ।

5. ई-स्क्रिप का पंजीकरण - (1) निर्यात का सीमा शुल्क स्टेशन, ई-स्क्रिप के लिए पंजीकरण का सीमा शुल्क स्टेशन होगा ।

(2) ई-स्क्रिप का पंजीकरण स्वचालित होगा तथा इसके लिए पृथक आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

6. ई-स्क्रिप का उपयोग और वैधता - (1) लेजर में ई-स्क्रिप में उपलब्ध ड्युटी क्रेडिट का उपयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा ।

(2) ई-स्क्रिप लेजर में इसके सृजन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और उक्त ई-स्क्रिप में कोई भी ड्युटी क्रेडिट जो इस अवधि के अंत में अप्रयुक्त रह जाएगा, व्ययगत हो जाएगा ।

(3) ई-स्क्रिप में ऐसा ड्युटी क्रेडिट जो व्ययगत हो गया है पुन: उत्पन्न नहीं किया जाएगा ।

(4) ई-स्क्रिप सहित लेजर और उसमें किए गए लेन-देन, इस तरह के ड्युटी क्रेडिट के प्राप्तकर्ता तथा सीमा शुल्क को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में दिखाई देगा।

7. ई-स्क्रिप में ड्युटी क्रेडिट का हस्तांतरण - (1) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के भीतर एक व्यक्ति के लेजर से किसी अन्य व्यक्ति, जो विदेश व्यापार (विकास और विनिमयन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अनुसार जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या का धारक हो, के लेजर में ई-स्क्रिप में ड्युटी क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी ।

(2) ई-स्क्रिप में उपलब्ध ड्युटी क्रेडिट, एक समय में उक्त ई-स्क्रिप की पूरी राशि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और आंशिक रूप में ड्युटी क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी ।

(3) ई-स्क्रिप के वैधता की अवधि इसके सृजन से एक वर्ष होगी जो ई-स्क्रिप के हस्तांतरण के कारण बदली नहीं जाएगी ।

(4) ई- स्क्रिप सहित अंतरिती का लेजर और उसमें किए गए लेन देन, अंतरिती और सीमा शुल्क को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में दिखाई देगा ।

8. ड्युटी क्रेडिट का स्थगन या रद्दकरण - जहां कोई व्यक्ति निर्यात के संबंध में या ई-स्क्रिप के संबंध में अधिनियम या लागू समय में किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता है, वहां अधिनियम की धारा 51ख के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से ड्युटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप को लेजर में स्थगित या रद्द् किया जा सकता है ।

[फा.सं. सीबीआईसी-140605/12/2021-निदेशक(प्रतिअदायगी)-सीबीईसी]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक